बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0
"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2, पटना–800001

पत्रांक :04:09:54:01:16– 9664 /दावा/पटना। दिनांक :– 18/9/17

प्रेषक :

पंकज कुमार, (भा0प्र0से0)
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– **जन वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं को अनापूरित खाद्यान्न की राशि वापस करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **इस कार्यालय का पत्रांक–2566 दिनांक–18.03.17 एवं पत्रांक–8226 दिनांक–17.08.17,**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आप अवगत है कि खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के पूर्व से ही कतिपय जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों द्वारा अनापूरित अनाज का पैसा वापस करनें हेतु बार–बार अनुरोध किया जा रहा है।

जन वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं को अनापूरित अनाज की राशि वापसी संबंधी दावे को जाँच कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त जाँच प्रतिवेदन (डीलर द्वारा राशि जमा करने का साक्ष्य, एस0आई0ओ0 में अंकित खाद्यान्न का उठाव नहीं होने का कारण, एस0आई0ओ0 की कॉपी, राशि वापस करने की सुस्पष्ट अनुशंसा), की मांग प्रासंगिक पत्रों द्वारा जिला प्रबंधकों से की गयी थी, परन्तु जिला स्तर पर त्रिसदस्यीय समिति का गठित हुए तीन महीना बीत जाने के वाबजूद अब तक संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। कई मामलों में याचककर्त्ता माननीय न्यायालय में भी जा रहे है। उदाहरण के तौर पर– खगड़िया से संबंधित 02 तथा जमुई से संबंधित 01 कुल 03 रिट प्राप्त हुए हैं।

अतः अनुरोध है कि त्रिसदस्यीय समिति की बैठक शीघ्र बुलाकर वांछित प्रतिवेदन यथा शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि अनापूरित अनाज का पैसा जिन जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों का बकाया है, उन्हें राशि वापस करने हेतु निगम द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जा सके।

विश्वासभाजन

18/9/2017

प्रबंध निदेशक।